2022 का अधिनियम संख्यांक 176 .

[दि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

2009 का 25

2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ञक) "गति शक्ति विश्वविद्यालय" से धारा 3च के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ;'।

नई धारा 3च का अंतस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3ङ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना ।

"3च. (1) राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वड़ौदरा, गुजरात, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, को इस अधिनियम के अधीन गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा । 1956 का 3

(2) गति शक्ति विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार, इस अधिनियम की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) गति शक्ति विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार द्वारा रेल मंत्रालय में प्रायोजित और निधिबद्ध किया जाएगा ।";

धारा 4 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(i) खंड (ङ) में, "इनमें से जो भी पूर्वतर हों, पद धारण करेंगे ; और" शब्दों के स्थान पर "इनमें से जो भी पूर्वतर हों, पद धारण करेंगे ;" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(छ) राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वड़ौदरा के प्रति किसी संविदा या अन्य लिखत में निर्देश को, इस अधिनियम के अधीन स्थापित गति शक्ति विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश समझा जाएगा ;

(ज) राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वड़ौदरा की या उससे संबंधित सभी जंगम और स्थावर संपत्तियां, इस अधिनियम के अधीन स्थापित गति शक्ति विश्वविद्यालय में निहित होंगी;

(झ) राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वड़ौदरा के सभी अधिकार और दायित्व, इस अधिनियम के अधीन स्थापित गति शक्ति विश्वविद्यालय के अधिकार और दायित्व होंगे तथा उसे अंतरित हो जाएंगे ;

(ञ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ होने से तुरंत पूर्व राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वड़ौदरा द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन स्थापित गति शक्ति विश्वविद्यालय में उसी पदावधि के लिए और उसी पारिश्रमिक पर तथा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्यनिधि और अन्य विषयों के लिए पद धारण करेगा या सेवा देता रहेगा, जैसा कि वह तब धारण करता जब केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 अधिनियमित नहीं किया गया होता और वह ऐसा करना तब तक जारी रखेगा जब तक कि उसके नियोजन को समाप्त नहीं कर दिया जाता है या ऐसी पदावधि,

पारिश्रमिक तथा निबंधनों और शर्तों को परिनियमों द्वारा सम्यकतः परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है :

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो इसके नियोजन को विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार या, यदि उनमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है तो विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी कर्मचारियों की दशा में तीन मास के समतुल्य पारिश्रमिक और अन्य कर्मचारियों की दशा में एक मास के समतुल्य पारिश्रमिक का प्रतिकर के रूप में संदाय करके नियोजन को समाप्त किया जा सकेगा;

(ट) राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वड़ौदरा के कुलपति और प्रतिकुलपति के प्रति तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज पर कोई संदर्भ चाहे किन्हीं भी शब्दों में हों, का अर्थान्वयन गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति के प्रति किया जाएगा ; और

(ठ) राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वड़ौदरा का पदधारी, कुलपति केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए या धारा 44 के अधीन ऐसी अवधि तक, जब तक गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलपति की नियुक्ति की जाती है, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, पद धारण करेगा ।"।

धारा 5 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि धारा 3च के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित गति शक्ति विश्वविद्यालय परिवहन, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन, जिसके अंतर्गत भारत और विदेश में केन्द्र स्थापित करना है, जैसा कि उक्त विश्वविद्यालय की राय में अपेक्षित हों, से संबंधित विभिन्न विषयों में उच्च क्वालिटी शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास का उपबंध करने के लिए अतिरिक्त उपाय करेगा ।"।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"5क.	गुजरात गति शक्ति विश्वविद्यालय	संपूर्ण भारत ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009, विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. आधारभूत अवसंरचना, शासन और शैक्षिक योजना के पश्चात् सरकार ने राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय वड़ोदरा, मानित विश्वविद्यालय को रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गति शक्ति विश्वविद्यालय, स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का विनिश्चय किया है ।

3. गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी और इससे इस क्षेत्र में वृद्धि और विस्तार की पूर्ति के लिए प्रशिक्षित प्रतिभा की मांग पूरी होगी । प्रस्तावित विश्वविद्यालय—

(i) प्रतिभा पलायन को विलोम करेगा और परिवहन में मास्टर और डाक्टोरल उपाधियों का विकास करके महत्वपूर्ण सक्षमता और क्षमता का सृजन करेगा ;

(ii) भारत को कौशल संपन्न और डिजीटलाइजिंग करने के इसके कार्यक्रम के माध्यम से परिवहन क्षेत्र में राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने में काफी सहायक होगा ;

(iii) स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देकर नूतन प्रौद्योगिकियों का सृजन करके महत्वपूर्ण रूप से अपेक्षित अनुसंधान और विकास का कार्य करेगा तथा महंगी प्रौद्योगिकी, उपस्कर और उत्पादों के आयात का विकल्प प्रदान करेगा ; और

(iv) परिवहन, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन, जिसके अंतर्गत भारत और विदेश में केंद्र स्थापित करना सम्मिलित है, से संबंधित विभिन्न विषयों में उच्च क्वालिटी शिक्षण, अनुसंधान और कौशल विकास का उपबंध करने के लिए अतिरिक्त उपाय करेगा ;

4. प्रस्तावित विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र का विस्तार रेलवे से परे भी होगा ताकि इस क्षेत्र में महत्वाकांक्षी वृद्धि और आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करने के लिए संपूर्ण परिवहन क्षेत्र को इसके अंतर्गत लाया जा सके ।

5. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022, अन्य बातों के साथ, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 को संशोधित करने के लिए है ताकि उक्त अधिनियम के अधीन निगमित निकाय के रूप में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबंध किया जा सके ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
21 जुलाई, 2022

धर्मेन्द्र प्रधान

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में एक नई धारा 3च को अंत:स्थापित करने के लिए है, जो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वड़ौदरा, गुजरात, मानित विश्वविद्यालय, जिसे गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित करने का उपबंध करता है, जिसकी संपूर्ण भारत पर अधिकारिता होगी ।

2. प्रस्ताव में मानित विश्वविद्यालय से एक विद्यमान कार्यशील संस्था को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है । अत:, प्रस्ताव में कोई अतिरिक्त वित्तीय विवक्षा नहीं है । भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को या तो भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से या सीधे केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है । गति शक्ति विश्वविद्यालय को केंद्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा ।

उपाबंध

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 25) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, और इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

(ञ) "कार्य परिषद्" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

* * * * *

विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रभाव ।

4. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,—

* * * * *

(ङ) मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अधीन नियुक्त गुरू घासी दास विश्वविद्यालय और डॉ० हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय का कुलपति और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, (1973 का राष्ट्रपति अधिनियम 10) के उपबंधों के अधीन नियुक्त हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का कुलपति इस अधिनियम के अधीन कुलपतियों के रूप में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और वे तीन मास की अवधि के लिए या इस अधिनियम की धारा 44 के अधीन, प्रथम कुलपति को नियुक्त किए जाने के समय तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे; और

1973 का मध्य प्रदेश अधिनियम 22

* * * * *

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो वह ठीक समझे, शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और उसकी अभिवृद्धि करने; विश्वविद्यालय के शिक्षा कार्यक्रमों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समेकित पाठ्यक्रमों के लिए विशेष उपबंध करने; अध्यापन-विद्या की प्रक्रिया और अंतर विषयक अध्ययन और अनुसंधान में उतरोत्तर नवीनता लाने के लिए समुचित उपाय करना; देश के विकास के लिए मानव-शक्ति को शिक्षित और प्रशिक्षित करने; विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए उद्योगों से संपर्क स्थापित करने; और जनता की सामाजिक और आर्थिक दशा को सुधारने तथा उनके कल्याण के लिए उनके बौद्धिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए विशेष ध्यान देना होगा :

परंतु धारा 3घ के अधीन स्थापित जनजातीय विश्वविद्यालय, जनजातीय उन्मुख उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान, जिसके अंतर्गत कला, संस्कृति और रूढ़ियां भी हैं, पर विशेष ध्यान देने के लिए अतिरिक्त उपाय करेगा ।

* * * * *

पहली अनुसूची

[धारा 3(4) देखें]

क्रम संख्या	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
*	*	*	*
5.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण गुजरात राज्य ।
*	*	*	*